14

शिक्षा

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2019–20 में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 29.13 लाख विद्यार्थी लाभान्वित।
- वर्ष 2019–20 में 51.60 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय।
- वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का संघटक कॉलेज, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, लखनपुर एवं 26 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कुल प्रवेश क्षमता 12,021 के साथ संचालित है।
- वर्ष 2020–21 में 184 औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 34,036 सीट स्वीकृत हैं।
- कोविड–19 के संक्रमण काल के दौरान क्लासरूम, शिक्षण बंद होने के कारण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार 15,277 विडियो लेक्चर, 365 ऑडियों लेक्चर एवं अन्य पाठ्य सामग्री cgschool.in पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था की गई।
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सकल नामांकन अनुपात (GER) 3.5 था जो बढ़कर अब 18.6 हो गया है।

स्कूल शिक्षा

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। संभाग स्तर पर 05 संभागीय कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 28 है, यह कार्यालय 27 राजस्व जिलों में स्थित है। वर्तमान वर्ष में जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला सक्ती का निर्माण किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय 146 है, जिनमें से 85 कार्यालय आदिम जाति विकासखण्डों मे एवं 61 सामुदायिक विकासखण्डों में हैं। इनके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :-

1. प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)।
2. प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन।
4. अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण ।
5. छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/सामयिक पुनरीक्षण ।
6. शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था ।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार।
8. शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान ।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था ।
10. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।
11. शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था ।
12. परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था ।
13. निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ।
14. समग्र शिक्षा अभियान का संचालन ।
15. वयस्क असाक्षर (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।

16. नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा का प्रबंध।
17. सबके लिए शिक्षा व्यवस्था।
18. मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण।
19. संस्कृत शिक्षा का विकास।
20. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करना ।

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग.

14.1.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :—यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है शासकीय विद्यालयों, अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को कार्यक्रम अन्तर्गत पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर में कमी आई है, एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है। योजना के तहत वर्षवार प्राप्त उपलब्धियां लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.1 में दर्शित है।

तालिका 14.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

क्र.	वर्ष	आबंटन (करोड)	व्यय (करोड)	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017—18	564.24	498.98	31.28 लाख छात्र
2	2018—19	599.22	413.76	30.51 लाख छात्र
3	2019—20	615.16	336.74	29.13 लाख छात्र

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :—

❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।

❖ योजनान्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही हैं।

❖ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000/— रूपये छात्रवृत्ति की पात्रता।

❖ छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के पासबुक में जमा करने का प्रावधान।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

❖ केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।

❖ परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित।

❖ कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

❖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता।

❖ गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नही ले सकते।

- ❖ सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत् एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता।
- ❖ परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

14.1.4 समग्र शिक्षा अभियान :–

1. उपरोक्त वर्षों में नवीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं की स्वीकृति वर्षवार निम्नानुसार प्राप्त हुई है

वर्ष	प्राथमिक शाला	उच्च प्राथमिक शाला
2002–03 से दिसम्बर 2019–20 तक	9842	7815

2. सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ होने से नवीन प्राथमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला में शिक्षाकर्मी के पद भी सृजित किए जाते है। जिनके आंकड़े निम्नानुसार है :–

क्र0	वर्ष	शिक्षाकर्मी वर्ग 02	शिक्षाकर्मी वर्ग 03	योग
1	2002–03 से दिसम्बर 2019–20 तक	24592	30927	55519

14.1.5 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :– प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक.बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र हैं। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां.लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.2 में दर्शित है।

तालिका 14.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय (करोड़ रू.में)

क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या
1	2017–18	147.03	88.14	56.50 लाख
2	2018–19	186.75	84.87	57.63 लाख
3	2019–20	230.12	109.14	51.60 लाख

14.1.6 निःशुल्क गणवेश योजना :– संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र–छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। सत्र 2012–13 में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत प्रति बालक–बालिका का राशि रू. 271/– के मान से दो सेट गणवेश हेतु राशि प्रावधानित की गई । जिन बच्चों को राज्य शासन के बजट से गणवेश प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हे पूर्ववत् राज्य शासन के बजट से ही गणवेश प्रदाय किए जाते रहेंगे। वर्तमान में एकरूपता हेतु राशि रूपये 540.52 पैसा प्रति गणवेश की दर निर्धारित की गई है। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां तालिका 14.3 में दर्शित है।

तालिका14.3 निःशुल्क गणवेश योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017–18	16,880.00 लाख	14,305.00 लाख	31.60 लाख छात्र–छात्राएं
2	2018–19	20,167.00 लाख	14,460.00 लाख	32.20 लाख छात्र–छात्राएं
3	2019–20	21,315.00 लाख	15,079.00 लाख	29.01 लाख छात्र–छात्राएं

14.1.7 सरस्वती सायकल योजना :– संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशिआदि का विवरण तालिका 14.4 में दर्शित है।

तालिका 14.4 सरस्वती सायकल योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	6100.00 लाख	5,938.55 लाख	1.83 लाख छात्राएं लाभान्वित
2	2018–19	6500.00 लाख	2,589.29 लाख	1.84 लाख छात्राएं संभावित
3	2019–20	6450.00 लाख	01.74 लाख	छात्राएं संभावित लक्ष्य

14.1.8 छात्र दुर्घटना बीमा :– स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्रायें एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/–की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 50,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषजिक उपचार हेतु 2,500/–अधिकतम छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

योजना के तहत वर्ष 2017–18 से मृत्यु पर बीमा राशि की दर रूपये 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित है।

तालिका 14.5 छात्र दुर्घटना बीमा				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	368.00 लाख	340.25 लाख	341
2	2018–19	368.00 लाख	272.25 लाख	316
3	2019–20	410.00 लाख	155.00 लाख	276

14.1.9 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :–योजना के तहत वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जनजाति की 67,049 छात्राओं को राशि रू. 335.24 लाख तथा अनुसूचित जाति की 30,894 छात्राओं को राशि रू. 154.47 लाख का भुगतान किया गया। वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जनजाति की 65,903 छात्राओं को राशि रू. 329.51 लाख तथा अनुसूचित जाति की 29,490 छात्राओं को राशि रू. 147.45 लाख का भुगतान किया गया।

14.1.10 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :— योजना के तहत वर्ष 2018—19 में 8,571 विद्यार्थियों को राशि रू. 170.67 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2019—20 में 7,398 विद्यार्थियों को राशि रू. 224.19 लाख का भुगतान किया गया है।

14.1.11 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :— योजना के तहत वर्ष 2018—19 में अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थियों को राशि रू. 45.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थियों को राशि रू. 105.00 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2019—20 में अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थियों को राशि रू. 45.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थियों को राशि रू. 105.00 लाख का भुगतान किया गया है।

14.1.12 राज्य छात्रवृत्ति योजना (प्री—मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक):— वर्ष 2018—19 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के 14,87,625 विद्यार्थियों को राशि रू. 9,757.13 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था इसी प्रकार वर्ष 2019—20 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के 19,43,580 विद्यार्थियों को राशि रू. 12,301.73 लाख की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

14.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

14.2.1 मण्डल के मुख्य कार्य :—

1. हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी / हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक / शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा एवं डी.एड. की परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाफल घोषित कर अंकसूचियां जारी करना।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य
4. छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता
5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिये प्रयास करना।
7. अन्य गतिविधियां।

14.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षाएं मुख्य हैं। वर्ष 2013–2019 तक परीक्षा संबंधी संख्यात्मक जानकारी इस प्रकार है–

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, वर्ष 2013 से 2019 तक

तालिका 14.6 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा संबंधी संख्यात्मक

वर्ष	हाई स्कूल			हायर सेकेण्डरी		
	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
2013	424744	239662	56.78	244230	181182	74.80
2014	427446	229917	54.00	268891	195115	72.86
2015	426675	227595	53.34	290777	211460	72.72
2016	433218	236073	54.00	277114	202646	73.43
2017	401641	242918	60.51	271994	207133	76.36
2018	381737	258573	68.04	270043	207111	77.00
2019	388120	261177	68.20	262492	203893	76.43

तालिका 14.7 परीक्षा वर्ष 2020तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी

क्र.	परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या		
		शासकीय	अशासकीय	कुल संस्था
1	हाईस्कूल	4678	2209	6887
2	हायर सेकण्डरी	2685	1343	4028

तालिका 14.8 परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षा केन्द्रों की जानकारी

क.	परीक्षा का नाम	केन्द्र संख्या
1	हाईस्कूल	2304
2	हायर सेकण्डरी (10+2)	2217
3	हायर सेकण्डरी व्यावसायिक	68

तालिका 14.9 नवीन विद्यालयों की स्थापना

क.	स्तर	नवीन प्रारंभ की गई विद्यालयों की संख्या												
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
1	प्राथमिक शाला	9	1	319	193	8	45	0	0	4	0	0	0	579
2	उच्च प्राथमिक	25	404	85	140	30	35	0	0	15	1	0	0	735
3	हाईस्कूल	276	9	218	1033	0	70	10	35	184	140	145	18	2138
4	हायर सेकेण्डरी	146	31	95	119	217	150	9	12	98	116	127	22	1142
	योग	**456**	**445**	**717**	**1485**	**255**	**300**	**19**	**47**	**301**	**257**	**272**	**40**	**4594**

तालिका 14.10 शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2019–20

क्रमांक	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		
			छात्र	छात्राएं	योग
1	हायर सेकेण्डरी	4391	273896	305255	579151
2	हाई स्कूल	2702	453326	493101	946427
3	माध्यमिक स्कूल	16370	768077	749245	1517322
4	प्राथमिक स्कूल	32811	1350470	1285811	2636281
	कुल योग	**56274**	**2845769**	**2833412**	**5679181**

तालिका 14.11 शिक्षक संख्या वर्ष 2019–20

क्रमांक	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत्	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरुष	महिला	योग		
1	हायर सेकेण्डरी	34002	39205	73207	80.30	01:08
2	हाई स्कूल	9178	11205	20383	75.20	01:46
3	माध्यमिक स्कूल	41851	39672	80523	80.33	01:19
4	प्राथमिक स्कूल	56751	39006	95757	91.34	01:27
	कुल योग	141782	128088	269870	83.84	01:25

तालिका 14.12 शैक्षिक सूचकांक 2019–20

क.	सूचकांक	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
		छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
1	ग्रास एनरॉलमेंट अनुपात (GER)	106.89	104.97	105.94	91.62	93.08	92.33
2	नेट एनरॉलमेंट अनुपात (NER)	99.85	99.43	99.64	85.42	89.12	87.23
3	शाला त्याग दर	0.51	0.41	0.46	0.69	0.51	0.60

तालिका 14.13 प्रबंधवार शिक्षक 2019–20

क.	विवरण	शासकीय	अनुदान प्राप्त	गैर अनुदान प्राप्त	योग	नियमित शासकीय शिक्षक	पंचायत शिक्षक
1	प्राथमिक	83655	1024	11078	95757	89575	6182
2	पूर्व माध्यमिक	49107	700	30716	80523	78729	1794
3	हाईस्कूल	8210	360	11813	20383	85517	8073
4	हायर सेकेण्डरी	35757	590	36860	73207		
	योग	176729	2674	90467	269870	253821	16049

तालिका 14.14 प्रबंधवार शाला संख्या 2019–20

स. क	विवरण	स्कूल शिक्षा	अनुदान प्राप्त		स्थानीय निकाय	मदरसा	गैर अनुदान प्राप्त	जनभागीदारी द्वारा स्कूल	कुल योग
			स्कूल शिक्षा	आ.जा. क.वि.					
1	प्राथमिक	30651	0	214	1729	208	4	5	32811
2	माध्यमिक	13224	5	112	2897	119	11	2	16370
3	हाईस्कूल	1946	1	8	741	0	3	3	2702
4	हायर सेकेण्डरी	2670	21	100	1475	0	51	74	4391
	योग	48491	27	434	6842	327	69	84	56274

तालिका 14.15 प्रबंधवार छात्रों की जानकारी 2019–20					
क.	शाला का स्तर	शासकीय	अनुदान प्राप्त	गैर अनुदान प्राप्त	योग
1	प्राथमिक	1775203	31317	829761	2636281
2	पूर्व माध्यमिक	1101974	23593	391755	1517322
3	हाईस्कूल	712371	19010	215046	946427
4	हायर सेकेण्डरी	415906	14979	148266	579151
	योग	4005454	88899	1584828	5679181

14.3 समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ

- समग्र शिक्षा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुई विद्यालयीन शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में इसमें भारत शासन का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।
- इसके अंतर्गत मानदण्ड अनुसार 03 कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर माध्यमिक शाला एवं 07 कि.मी. पर उच्चतर माध्यमिक शाला उन्नयित कर संचालित की जा रही है।
- आवश्यकतानुसार उन्नयित शालाओं का भवन, पोर्टा केबिन, आवासीय विद्यालय एवं कन्या छात्रावास, पूर्व से संचालित शालाओं में कक्ष, पेयजल सुविधा, बालक/बालिका टॉयलेट सुविधा एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान रख कर निर्माण कार्य किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण, आर. टी. ई. अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को स्कार्ट एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, ब्रेल बुक एवं छात्रवृत्ति तथा सहायक सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।
- भारत शासन द्वारा सत्र 2013–14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत **कन्या छात्रावास, आई ई डी एस एस {समावेशी शिक्षा}, व्यावसायिक शिक्षा एवं आई सी टी** योजनाओ को शामिल किया गया है। राज्य में सत्र 2014–15 सें ये सभी योजनाऐं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित है।

14.4 निर्माण कार्य

14.4.1 प्रारंभिक स्तर

तालिका 14.16 वर्ष 2019–20 मे स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति						
क्र	घटक	स्वीकृत		पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
		भौतिक	वित्तीय			
1	उच्च प्राथमिक शाला	1	12.84	0	0	1
2	बालक शौचालय	55	56.65	0	0	55
3	बालिका शौचालय	119	122.57	0	0	119
4	पेयजल	1115	836.25	29	80	1006
5	दीर्घमरम्मत	62	729.16	1	9	52
6	जर्जरभवन	60	692.88	0	60	0
7	सोलरपैनल	100	330.00	4	1	95

14.4.2 माध्यमिक स्तर

वर्ष 2019–20 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 14.17 वर्ष 2019–20 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति

क्र	घटक	स्वीकृत		पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
		भौतिक	वित्तीय			
निर्माण कार्य 2019–20						
1	नवीन हाईस्कूल भवन	9	677.88	0	0	9
2	सोलर पैनल	49	183.75	10	0	39
			861.63			
सुदृढ़ीकरण 2019–20						
1	अतिरिक्त अध्यापन कक्ष	223	1926.72	0	121	102
2	विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष	95	867.35		38	57
3	विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री	95	95.00	-	-	-
4	कम्प्यूटर कक्ष	100	736.00		33	67
5	बालक शौचालय	429	441.87	0	0	429
6	बालिका शौचालय	830	854.90	0	0	830
7	पेयजल	137	137.00	0	0	137
8	दिव्यांग शौचालय	324	333.72	0	0	324
9	रैम्प	509	127.25	0	0	509

वर्ष 2020–21 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण 30 सितम्बर 2020 स्थिति में निम्नानुसार है।

तालिका 14.18 वर्ष 2020–21 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण 30 सितम्बर 2020 स्थिति में

क्र	घटक	स्वीकृत		पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
		भौतिक	वित्तीय			
1	हाई स्कूल भवन	3	225.96	0	0	3
2	हायर सेकेण्डरी भवन	5	635.00	0	0	5

14.5 तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में मुख्य रूप से तकनीकी शिक्षा दो प्रकार की संस्थाओं– इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दी जाती है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर चार वर्षीय बी.ई. तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक., एम.सी.ए. और एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं। पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का

संघटक कॉलेज, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, लखनपुर एवं 26 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कुल प्रवेश क्षमता 12,021 के साथ संचालित हैं।

राज्य में 32 शासकीय एवं 18 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 9,069 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है। राज्य में 01 विश्वविद्यालयीन फार्मेसी संस्था एवं 26 निजी संस्थाओं में बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 2,365 प्रवेश क्षमता, 01 विश्वविद्यालयीन फार्मेसी संस्था एवं 06 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 242 प्रवेश क्षमता, 01 शासकीय एवं 42 निजी संस्थाओं में डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 2,615 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1351 प्रवेश क्षमता के साथ एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित हैं, साथ ही 01 विश्वविद्यालयीन संस्था एवं 11 निजी संस्थाओं में 969 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। 02 विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं 04 निजी संस्थानों में 380 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं।

राज्य के इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों में स्नातक स्तर के 21 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 37 पाठ्यक्रम तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 18 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.6 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमः— राज्य में कुल 50 पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित है। जिनमें 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 28 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक एवं 18 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक संस्थाएं शामिल हैं। इन संस्थाओं में निम्नानुसार 18 त्रिवर्षीय एवं 01 द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

14.7 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

14.7.1 छात्रवृत्तियाँ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र—छात्राओं के लिये) :— शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति और योग्यता सह—साधन छात्रवृत्ति रू. 1,000 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र—छात्राओं को रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

14.7.2 बी.पी.एल. छात्रवृत्तिः– छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007–2008 से लागू की गई है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1000 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

14.7.3 ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्लू.)ः– यह योजना सत्र 2007–08 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ब्रांचवार प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें ट्यूशन फी व्हेवर सीटें होती हैं। 60 सीटों की प्रवेश क्षमता पर 03 सीटें फी व्हेवर के अंतर्गत होंगी। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रवेशित संस्था का निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रेंक है।

14.7.4 छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट ः– सत्र 2014–15 से छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

14.7.5 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ः– तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है।

तालिका 14.19 उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (राशि करोड़ में)

क.	सत्र	लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	ऋण ब्याज अनुदान की कुल राशि
01	2016–17	773	1.64 करोड
02	2017–18	1540	2.76 करोड़
03	2018–19	2094	3.96 करोड

14.8 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

14.8.1 सिपेट का उद्देश्यः– विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रमशक्ति का निर्माण, प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई और प्लास्टिक उत्पादों के डिजाईन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना है।

14.8.2 महत्वपूर्ण लक्ष्य :—छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाने हैं। जिसके अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एण्ड टेस्टिंग (PGD-PPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (DPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (DPMT), जिन पाठ्यक्रमों की अवधि 1वर्ष से 03 वर्ष तक की हैं। इसके अंतर्गत **335** प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र 2017—18 से बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध 04 वर्षीय पाठ्क्रम का संचालन भी प्रारंभ हुआ है जिसमें कुल **132** प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं।

14.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :— वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये छ.ग. शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 181 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

तालिका 14.20 वर्षवार औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2013—14	129	11
2014—15	146	17
2015—16	163	17
2016—17	172	09
2017—18	178	06
2018—19	178	0
2019—20	181	03
2020—21	184	03

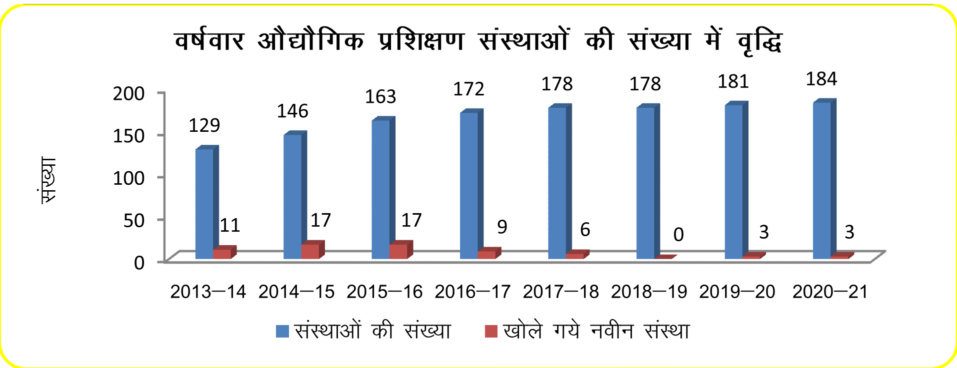

तालिका 14.21 विगत वर्षों में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति	
वर्ष	स्वीकृत सीट
2015-16	18184
2016-17	19360
2017-18	25589
2018-19	28177
2019-20	33660
2020-21	34036

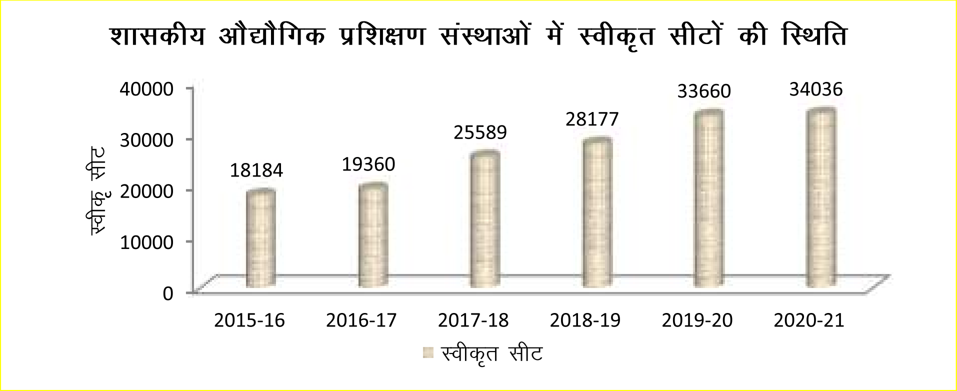

तालिका 14.22 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) से संबद्धता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति

क्र.	संभाग का नाम	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	संचालित व्यवसायों की संख्या	यूनिटों की संख्या	कुल सीट
1	अंबिकापुर	9	3	60	1224
2	बिलासपुर	35	12	337	7220
3	रायपुर	17	6	109	2340
4	दुर्ग	42	11	347	7572
5	जगदलपुर	6	11	53	1108
	योग –	108	43	906	19464

14.10 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

जिले	28
संस्थायें	184
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09
महिलाओं के लिये विशेष	09
संचालित व्यवसाय	49
इंजीनियरिंग व्यवसाय	34
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	15
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	34036

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

जिले	21
संस्थायें	109
संचालित व्यवसाय	19
इंजीनियरिंग व्यवसाय	13
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	06
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	19464

क्र.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
1	बालोद	8	1432	
2	बेमेतरा	5	676	
3	बलरामपुर	7	648	
4	बस्तर	9	1592	
5	बीजापुर	4	400	
6	बिलासपुर	8	2712	
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	7	1648	
8	द0बस्तर (दंतेवाड़ा)	4	424	
9	धमतरी	9	1708	
10	दुर्ग	6	2876	
11	कबीरधाम	4	364	
12	जशपुर	8	916	
13	जॉजगीर–चॉपा	12	1728	
14	गरियाबंद	5	656	
15	कोरिया	6	952	
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	3	620	
17	कोरबा	6	1404	
18	कोण्डागांव	7	848	
19	नाराणपुर	2	336	
20	मुंगेली	3	360	
21	महासमुन्द	5	956	
22	रायपुर	9	2716	
23	रायगढ़	10	1936	
24	राजनांदगांव	11	1640	
25	उ0बस्तर (कांकेर)	8	1448	
26	सरगुजा	8	1460	
27	सूरजपुर	7	1164	
28	सुकमा	3	416	
	योग	**184**	**34036**	

14.11 राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी संरचना :– छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ''छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013'' के तहत अपने युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़, देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने ऐसा कानून बनाया है, जिसमें 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के हमारे युवा साथी अपनी रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या अपने गांव की जरूरतों के अनुसार तथा रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कानून में वर्तमान में 36 सेक्टर के 706 कोर्स उपलब्ध हैं।

14.11.1 राज्य एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

प्रदेश में कौशल विकास के गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है :–

- प्रत्येक जिले में लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के दिशा–निर्देश अनुरूप आम लोगों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।
- कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त शासकीय विभागों को कौशल विकास क्षेत्र में उन्नयन हेतु प्रेरणा देना।
- विभागीय कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण हेतु लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने एवं नियोजन का अवसर प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कार्यदायित्व के निर्वहन का कार्य।
- आजीविका कॉलेज द्वारा पढ़े–लिखे अत्यन्त गरीब युवक/युवतियों एवं बेरोजगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आजीविका कॉलेज में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मापदंड के अनुरूप क्षेत्रीय निवासियों की ओर ध्यान आकर्षित करना।
- आजीविका कॉलेज उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित करना।
- प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित एवं स्वरोजगार प्रदाय करनें हेतु उद्योगों एवं निजी संस्थानों के नियोजनकर्ताओं से टाई–अप की व्यवस्था करना।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों से मध्यस्थता का कार्य।
- स्कूल drop-out बेरोजगारों को वर्तमान बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पअवधि के रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करना।
- बेरोजगार युवक/युवतियों को वर्तमान जीवनशैली में जीने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

14.11.2 मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना – स्वयं का रोजगार स्थापित करने ऋण

योजना :— छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनकी अभिरूचि एवं योग्यता के आधार पर कौशल विकास के क्षेत्र अंतर्गत लघु अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पश्चात् युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्म—निर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल स्व—रोजगार योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से ऋण आधारित शासकीय अनुदान राशि प्रदान करने हेतु वर्ष 2018—2023 तक की अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौशल स्व—रोजगार योजना संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020—21 में मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय के रूप में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए राशि रू 162 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है।

14.11.3 **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, केन्द्र प्रवर्तित — राज्य प्रबंधित** (PMKVY-CSSM) :— प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (केन्द्र प्रवर्तित—राज्य प्रबंधित) का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिले के लाईवलीहुड कॉलेज को पंजीकृत कर किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016—20 हेतु 15,890 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। निर्धारित लक्ष्य में से 13,755 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 3,343 युवाओं को नियोजन प्राप्त हो चुका है।

14.11.4 **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाः**— मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक कन्वर्जेन्स योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ (यथा कोर्स, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाण—पत्र इत्यादि) कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित विभिन्न स्तरों के **706** कोर्सेस कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। वर्ष 2020—21 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मद में शासन द्वारा राशि रू. 83.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं के नियोजन हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्लेसमेंट कैम्प (रोजगार मेला) का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत योजना के प्रारंभ से दिनांक 10 दिसम्बर 2020 तक कुल 2,54,835 युवाओं को नियोजन प्राप्त हो चुका है।

तालिका 14.23 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत वर्षवार प्रशिक्षण एवं नियोजन

वर्ष	प्रशिक्षण	नियोजन		
	प्रशिक्षित	रोजगार	स्वरोजगार	कुल नियोजित
2013—14	13564	1066	2361	3427
2014—15	39638	6413	8361	14774
2015—16	74564	15033	23970	39003
2016—17	103772	26573	30296	56869
2017—18	144149	39207	49549	88756
2018—19	77018	22987	21412	44399
2019—20	13906	4167	3440	7607
2020—21	कोविड 19 की परिस्थितिवश प्रशिक्षण का संचालन स्थगित है।			
कुल	466611	115446	139389	254835

उच्च शिक्षा

14.12.1 कोविड–19 के संक्रमण काल के दौरान क्लासरूम, शिक्षण बंद होने के कारण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार 15,277 वीडियो लेक्चर, 365 ऑडियों लेक्चर एवं अन्य पाठ्य सामग्री cgschool.in पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था की गई। शिक्षा सत्र 2020–21 के लिए केन्द्रीयकृत ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अध्यापन हेतु hecgonline Apps का निर्माण कराया गया। इस ऐप के माध्यम से वर्तमान में संभाग स्तर पर उन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिये ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था की गई है, जिनकी संस्था में शिक्षकों के पद विभिन्न विषयों मे रिक्त हैं।

14.12.2 शिक्षा सत्र 2019–20 के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर के लिये ऑनलाइन परीक्षा एवं शेष कक्षाओं के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार आंतरिक मूल्यांकन, ऑनलाइन एसांइनमेंट तथा गतवर्ष के प्राप्तांकों के आधार पर परिणाम, विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित किया गया ।

14.12.3 बिलासपुर विश्वविद्यालय के विस्तृत क्षेत्रफल तथा रायगढ़ क्षेत्र से बिलासपुर मुख्यालय की दूरी को देखते हुए विद्यार्थियों की सुविधा के लिये इस वर्ष रायगढ़ में 'शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई।

14.12.4 छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय सकल नामांकन अनुपात (GER) 3.5 था जो बढ़कर अब 18.6 हो गया है।

14.12.5 प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नैक प्रत्यायन/पुर्नप्रत्यायन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु प्रयास निरंतर जारी है। परिणामतः आज प्रदेश में A ग्रेडप्राप्त 02 शासकीय विश्वविद्यालय हैं। 02 निजी विश्वविद्यालय एवं 03 A+/A ग्रेड महाविद्यालयों सहित कुल 57 शासकीय महाविद्यालय, 16 अशासकीय महाविद्यालय नैक द्वारा प्रत्यायित/पुर्नप्रत्यायित है।

14.12.6 प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 1,384 पदों को भरने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा माह नवंबर 2020 में लिखित परीक्षा आयोजित की जाकर आगे की भर्ती की कार्यवाही प्रगति पर है।

14.12.7 प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल एवं कीड़ाधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा अयोग रायपुर से 40 ग्रंथपाल एवं 54 क्रीडाधिकारी की चयन सूची प्राप्त हो चुकी है। विभाग द्वारा पुलिस सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

14.12.8 सत्र 2020–21 में 19 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों हेतु विषय/ संकाय में 1,425 में सीट्स की वृद्वि की गई है।

14.12.9 शिक्षा सत्र 2020–21 में 67 अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/एवं डिप्लोमा कक्षाओं में

1,840 एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की 8,100 सीट्स नवीन विषयों के लिए स्वीकृत की गई है। पूर्व में संचालित स्नातक/डिप्लोमा विषयों में 780 तथा स्नातकोत्तर विषयों में 60 सीट्स की वृद्वि की गई है।

14.12.10 ग्राम औंधी जिला राजनांदगांव, चांदनी बिहारपुर जिला सुरजपुर, केल्हारी जिला कोरिया, कांसाबेल जिला जशपुर, कुंआकोण्डा जिला दंतेवाड़ा, जोबी जिला रायगढ़, तोंगपाल जिला सुकमा, परपोड़ी जिला बेमेतरा, मचांदुर जिला दुर्ग, जामुल जिला दुर्ग, पुसौर जिला रायगढ़ एवं झलमला जिला कबीरधाम में संचालित शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय 465 लाख की लागत से कुल **12 महाविद्यालयों हेतु 55 करोड़ 90 लाख** की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

14.13 विभाग की योजना :–

14.13.1 राष्ट्रीय सेवा योजनाः– भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की केन्द्रीय योजना–राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियो का क्रियान्वयन राज्य एन.एस.एस. सेल, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्दश्य ''सामुदायिक कार्यों द्वारा छात्र के व्यक्तित्व का विकास'' निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019–20 में केन्द्र शासन द्वारा छात्र संख्या 98,500 का लक्ष्य आबंटन किया गया है जिसके विरूद्व 95,800 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

14.13.2 बी.पी.एल. बुक बैंक योजना :– बी.पी.एल. बुक बैंक योजना राज्य शासन द्वारा 2005 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। इस शैक्षणिक सत्र के लिये रू. **50 लाख** का बजट प्रावधान किया गया है।

14.13.3 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रूपये 50/–प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं प्रति दो विद्यार्थी रूपए 600/– की पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रूपये 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी तथा प्रति दो विद्यार्थी रूपये 800/– की पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस हेतु बजट में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये 110.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये 83.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

14.13.4 बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत आने वाले स्नातक स्तर के छात्रों को रू. 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए कुल 3,000/– रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को रू. 500/– प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5,000/– प्रति छात्र प्रदान किया जाता है। सत्र 2019–20 में बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत 16,771 विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 5,26,56,800 डी.बी.टी के माध्यम से वितरित की गई है।

14.14 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)–

14.14.1 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)– महाविद्यालयों को अधोसंरचना अनुदान (कुल स्वीकृत महाविद्यालय–67):–

- 54 महाविद्यालयो का नवीन निर्माण कार्य पूर्ण एवं 13 महाविद्यालयों की निविदा प्रक्रियाधीन ।
- 23 महाविद्यालयों में उपकरण क्रय पूर्ण 36 महाविद्यालयों में प्रकियाधीन एवं 8 महाविद्यालयों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन।
- 6 महाविद्यालयों में रेनोवेशन/उन्नयन कार्य प्रगति पर 61 महाविद्यालयों में निविदा/प्रशासकीय स्वीकृति प्रकियाधीन

14.14.2 नवीन आदर्श महाविद्यालयों की स्थापनाः–

(कुल स्वीकृत महाविद्यालय–11)

- 3 नवीन आदर्श महाविद्यालय (रायपुर, कांकेर एवं राजनांदगांव) का स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण एवं दुर्ग का कार्य प्रगति पर ।
- शेष स्वीकृत 07 स्वीकृत नवीन आदर्श महाविद्यालयों में से 04 आदर्श महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर 02 महाविद्यालयों का कार्य आदेश जारी एवं 01 महाविद्यालय की निविदा प्रक्रियाधीन ।

14.14.3 विश्वविद्यालयों को अधोसंरचना अनुदानः–

(कुल स्वीकृत विश्वविद्यालय–07)

- 07 विश्वविद्यालयों में नवीन निर्माण कार्य प्रगति पर
- 03 विश्वविद्यालयों में रेनोवेशन/उन्नयन कार्य प्रगति पर।
- 06 विश्वविद्यालयों में उपकरण क्रय एवं 01 विश्वविद्यालय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन

स्वशासी महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं उत्कृष्ठता को बढ़ावाः–

(कुल स्वीकृत महाविद्यालय–03)

- वी .वाय.टी. पी.जी. स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के निर्माण कार्य एवं उपकरण क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी।
- शेष दो महाविद्यालयों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन ।